भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

स्टेट हेल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांकः एफ 1008(20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/84 दिनांक : 13.01.2015

मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2016 को भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन में खाद्य विभाग, श्रम विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मुददो पर आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय

खाद्य विभाग

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली समस्त श्रेणियों यथा बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्तोदय, अन्नपूर्णा तथा अन्य सभी के ऑन लाइन डेटा दिनांक 31.01.2016 तक सुनिश्चित कराया जावें।
2. जिन परिवारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी नहीं हुये हैं, उनके लिए भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए ग्राम सचिव की पर्ची मान्य की गई है। यह पर्ची 31.01.2016 के बाद मान्य नहीं होगी। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि इनके राशन कार्ड बनने के बाद जिला कलक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा डिस्टक सप्लाई ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगें की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में ऐसे परिवारों द्वारा पर्ची के माध्यम से लिये गये लाभ की एन्ट्री में पर्ची के स्थान पर राशन कार्ड की एन्ट्री करावें।
3. 1 अप्रैल 2016 के पश्चात स्वास्थ्य बीमा योजना में भामाशाह कार्ड के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
4. उपरोक्त बिन्दु सुनिश्चित किये बिना ऐसे परिवारों को (पर्ची धारक/जिन्हें राशन कार्ड जारी नहीं हुये हैं/जिन परिवारों का डेटा ऑन लाइन नहीं है) भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना कठिन होगा।

श्रम विभाग

5. शासन सचिव, श्रम विभाग ने अवगत कराया है कि भामाशाह कार्ड में 7 लाख श्रमिक निर्माण श्रमिक के रूप में चिन्हित किये गये है, इनके प्रीमियम की राशि भारत सरकार से प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगे।
6. निर्माण श्रमिकों का कार्ड नम्बर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में डालने की सुविधा दी जाये, जिससे 7 लाख श्रमिकों का प्रीमियम भारत सरकार से सुनिश्चित हो सके।
7. जैसा कि मुख्य सचिव महोदय की 24.04.2015 की बैठक में पूर्व में भी निर्णय लिया जा चुका है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले समस्त लाभार्थियों को असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के रूप में घोषित करावें। इस संदर्भ में शासन सचिव श्रम विभाग द्वारा बताया गया की एक्ट के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक घोषित कराना जिला कलक्टर के अधीन आता है। अतः यह निर्णय लिया गया की श्रम विभाग सभी जिला कलक्टर्स को तदानुसार दिशा–निर्देश जारी करे एवं असंगठित श्रमिक के रूप में घोषित कराना सुनिश्चित करें।
   इस क्रम में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी कलेक्टर को पत्र लिखा जा चुका है शेष तकनीकी कार्यवाही श्रम विभाग एवं खाद्य विभाग से अपेक्षित है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

8. सॉफ्टवेयर में कुछ बिन्दुओं पर परिवर्तन के लिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 15 दिन में करने के लिए सहमति दी है।
9. न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी द्वारा सॉफ्टवेयर में उनको क्लेम नहीं दिखने की शिकायत की गई है। इस संदर्भ में शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.12.2015 को प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बीमा कम्पनी को यह निर्देशित किया गया था कि उनकी सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी टी.सी.एस. के प्रतिनिधियों की बैठक शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष में करायी जावे शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा बताया गया कि आज दिनांक तक न्यू इण्डिया एशोरेन्स कम्पनी की सॉफ्टवेयर प्रदाता कम्पनी टी.सी.एस. ने आज दिनांक तक सम्पर्क नहीं किया है। बीमा कम्पनी को तदानुसार सूचित किया जावे।

स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी–स्कीम, जयपुर

10. प्रमुख शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आई.टी. पोर्टल के निर्माण एवं संचालन हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की इस पर प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर सहमति दी गई। वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग से अनुमोदन के उपरान्त जारी की जा सकेगी।
इसके अतिरिक्त यह निर्देशित किया गया कि खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत आनेवाले परिवारों को असंगठित क्षेत्र का श्रमिक मानते हुये भारत सरकार से इन सभी परिवारों के लिये प्रीमियम की मांग की जायें। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक सह धन्यवाद समाप्त हुई

(डॉ. नीरज के. पवन)
सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांकः एफ 1008(20)/एनएचएम/भामा.स्वा.बीमा योजना/2015–16/84 दिनांक : 13.01.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं सादर अवलोकनार्थ हेतु :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव मुख्य सचिव राजस्थान।
3. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, खाद्य विभाग, राजस्थान।
5. शासन सचिव श्रम विभाग, राजस्थान।
6. शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान।
7. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
8. विशिष्ठ शासन सचिव एवं अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
9. डॉ अवतार सिंह दुआ, बीएसबीवाई की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. सलाहकार, आई.एस.सी., एनएचएम।
11. सेन्ट्रल सर्वर रूम – ईमेल एवं अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

सी.ई.ओ.
स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी